राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1793/2012/बूंदी.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बूंदी. .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स चेतक इण्डस्ट्रीज, हट्टीपुरा, बूंदी. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री संजीव कुमार जैन,
अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/02/2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बूंदी (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 08/वैट/2011–12/बूंदी में पारित किये गये आदेश दिनांक 7.5.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 14.2.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के दौरान रूपये 15,51,876/– का करमुक्त साबुन का विक्रय किया जाना दर्शाया गया एवं उक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल राज्य के बाहर से आयात किया जाना बताया जाकर कर योग्य माल के विनिर्माण में प्रयुक्त राज्य के भीतर खरीदे गये माल पर आई.टी.सी. क्लेम किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त तथ्यों को अस्वीकार करते हुए विवादित कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.2.201 से व्यवहारी द्वारा करमुक्त विक्रय किये गये माल में प्रयुक्त कच्चे माल पर 4 प्रतिशत की दर से लिये गये आई.टी.सी. अस्वीकार कर रिवर्स टैक्स रूपये 60,380/– का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.5.2012 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयातित कच्चे माल से साबुन का निर्माण किया जाना प्रमाणित नहीं किये जाने तथा आयात से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर पंजीकृत व्यवहारियों से खरीद की जाकर करमुक्त माल का निर्माण कर विक्रय किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिवर्स टैक्स का आरोपण किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि आलौच्य अवधि में व्यवहारी ने राज्य के बाहर से रूपये 10,01,473/— का माल आयात किया है तथा रूपये 6,10,200/— का करमुक्त तैयार उसके प्रारम्भिक स्टॉक में था। इस प्रकार आलौच्य अवधि में बिक्रीत करमुक्त माल के पेटे आई.टी.सी. उचित प्रकार से क्लेम किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए रिवर्स टैक्स का आरोपण किया है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वेट अधिनियम की धारा 73 के तहत प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट अनुसार व्यवहारी के प्रारम्भिक स्टॉक में रूपये 6,10,200/— का करमुक्त माल उपलब्ध था। कर निर्धारण आदेश अनुसार प्रथम तिमाही में राज्य के बाहर से कच्चा माल कीमत रूपये 98,838/— आयात किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने इस आयात के आधार पर माना कि करमुक्त निर्मित माल में राज्य में भीतर का क्रीत कच्चा माल प्रयुक्त हुआ है, इसलिए रूपये 15,09,510/— की कर योग्य खरीद पर 4 प्रतिशत की दर से रूपये 60,380/— आई.टी.सी. रिवर्स की गई है।

लगातार.....3

प्रथम तिमाही में व्यवहारी द्वारा रूपये 7,45,470/— का कर मुक्त माल का विक्रय किया गया है। उक्त करमुक्त स्टॉक व राज्य के बाहर से आयात के मद्देनजर कर निर्धारण अधिकारी यह स्थापित करने में असफल रहे हैं कि करमुक्त माल निर्माण में राज्य के भीतर की खरीद किये माल को प्रयुक्त किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के प्रारम्भिक स्टॉक माल का निर्माण राज्य के भीतर क्रीत कच्चे माल से होना भी प्रमाणित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य